

BEEO अथवा DEO(Secondary) कार्यालय द्वारा पोर्टल पर अपेक्षित कार्य सूचि

1. अपने लॉगइन में ऐसी स्कूलों को चयनित करना जिनमें सत्र 2012-13 में आरटीइ के तहत प्रवेश हुए हैं एवं इनको प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया है | चयन के साथ ही विद्यार्थियों की संख्या दर्ज करना, जितने का इस विद्यालय को प्रथम किस्त का भुगतान हो चुका है |
2. पंजीकृत विद्यालयों की विभागीय मान्यता डाटा का वेरिफिकेशन |
3. पंजीकृत विद्यालयों को सत्र 2012-13 के लिए प्रवेशित विद्यार्थी वार भुगतान की गयी प्रथम /द्वितीय किस्त राशी को एन्टर करना |
4. ऐसे छात्रों का नाम एन्टर करना जिनका भुगतान विभाग ने तो किया है लेकिन विद्यालयों ने एन्टर नहीं किया है |
5. पंजीकृत विद्यालयों के भौतिक सत्यापन के लिए जानी वाली टीम को निम्न रिपोर्ट्स की दो कॉपी प्रिंट कर उपलब्ध करवाना |
 - सत्र 2012-13 में हुए प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचि
 - सत्र 2013-14 में हुए प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचि
6. उपरोक्त सूचि में विद्यालयों के बैंक अकाउंट का विवरण दिया हुआ है साथ ही यह भी बताया गया है की स्कूल ने कैंसिल चेक अपलोड किया है या नहीं, वेरिफिकेशन टीम को इस बारे में बताना की वो बैंक विवरण का मिलान कर लें तथा कैंसिल चेक अपलोड नहीं किया है तो वह स्कूलों से अपलोड करवाएं |
7. पंजीकृत विद्यालय जिन्होंने प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण एन्टर कर दिया है एवं जिनका भौतिक सत्यापन हो गया है तथा उन्होंने भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार डाटा एन्टर कर दिया है, की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना |
8. पंजीकृत विद्यालयों के बैंक अकाउंट का विवरण देख कर, प्रत्येक विद्यालय के बैंक अकाउंट डाटा का वेरिफिकेशन |
9. सत्र 2012-13 से सम्बंधित स्कूल वार समायोजित करने योग्य राशी एन्टर करना |